

भा.कृ.अनु.प.— केन्द्रीय नीबूवर्गीय फल अनुसंधान संस्थान,

अमरावती रोड, नागपुर — 440033

नीलामी सूचना संख्या 03/2026-27/986-992 / 860

केन्द्रीय नीबूवर्गीय फल अनुसंधान संस्थान, अमरावती रोड, नागपुर में स्थित 20 हेक्टर भूमि पर स्थित घास की नीलामी दिनांक: 09/09/2026 को दोपहर 2.00 बजे की जायेगी, इस संबंध में इच्छुक ठेकेदार घास की खरीददारी हेतु कार्यालय समय 10 बजे से 5 बजे तक निरीक्षण कर कीमत को दिनांक: 09/09/2026 को पूरी तहर से भरकर रु. 1,000/- की सुरक्षा निधी के साथ (ई.एम.डी.) डी.डी. [ICAR Unit CCRI Nagpur के नाम] आई.सी.ए.आर.—सी.सी.आर.आई. आफिस में जमा करना होगा। जिसे दोपहर 2.00 बजे ठेकेदारों के सामने खोला जायेगा।

नीलामी निम्नलिखित नियमों व शर्तों के आधार पर होगी।

कोटेशन भरने वाले ठेकेदार को रु. 1,000/—(रु. एक हजार रुपये मात्र) धरोहर राशि को यूपीआई अथवा कार्ड पेमेन्ट द्वारा जमा करना होगा जो कि निदेशक, आई.सी.ए.आर.—सी.सी.आर.आई. द्वारा सर्वाधिक बोली स्वीकार करने पर सफल ठेकेदार को छोड़कर अन्य लोगों को वापस कर दी जायेगी।

- सफल बोली स्वीकार्य व्यक्ति को नीलामी राशि की रकम तुरंत जमा करनी होगी। ऐसा न करने पर उसकी ईएमडी भी जप्त कर ली जायेगी।
- पूरी राशि जमा करने पर ही उसे नीलाम किये गये घास को काटने की अनुमति दी जायेगी।
- नीलाम किये गये घास को ठेकेदार द्वारा 30/10/2026 तक उसे अपने श्रमिकों से काटना होगा। यदि ठेकेदार निर्धारित समय में घास को को आई.सी.ए.आर.—सी.सी.आर.आई. से ले जाने में असमर्थ रहता है और निदेशक महोदय उसे अनुमति नहीं देते तो वह घास को नहीं ले जा सकेगा और इसकी जिम्मेदारी संस्थान की नहीं होगी।
- मूल्य निर्धारण कीमत कोटेशन खोलने के पश्चात घोषित की जायेगी।
- नीलामी किये गये घास को आई.सी.ए.आर.—सी.सी.आर.आई. से बाहर ले जाने हेतु फार्म अधीक्षक द्वारा गेट पास दि जायेगी।
- संस्थान के निदेशक महोदय को किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
- नीलामी के समय परिस्थिती को ध्यान में रखकर निदेशक महोदय को शर्तों में किसी भी तरह का बदलाव करने का अधिकार होगा।
- ठेकेदार को बयाना (ई.एम.डी.) राशि वापस लेने के लिए फार्म प्रभारी/सहा. फार्म प्रभारी/फार्म अधीक्षक से ना हरकत प्रमाणपत्र लेकर कार्यालय में जमा करना होगा।

- शनिवार रविवार तथा अन्य छुट्टियों के दिन घास को काटने दिया जायेगा लेकिन उन्हें बाहर ले जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- मजदूरों के किसी भी अप्रिय घटना का जिम्मेदार खुद ठेकेदार होगा, कार्यालय इसके लिए जिम्मेदार नहीं रहेगा।
- घास को ले जाने हेतु स्वयं की व्यवस्था करनी होगी।
- संस्थान में किसी भी प्रकार की गंदगी या कचरा न फैलाए, ऐसा होने पर ठेकेदार को सफाई करके देना होगा।

Digitally signed by
ADITYA PARSODIYA
Date: 08-09-2026
11:18:23

प्रशासनिक अधिकारी
आई.सी.ए.आर.-सी.सी.आर.आई., नागपुर

प्रतिलिपि:

- 1 डॉ. नरेश मेश्राम, वरिष्ठ वैज्ञानिक, फार्म प्रभारी एवं सतर्कता अधिकारी, आई.सी.ए.आर.-सी.सी.आर.आई., नागपुर।
- 2 डॉ. दर्शन कदम, वैज्ञानिक एवं सहायक फार्म प्रभारी, आई.सी.ए.आर.-सी.सी.आर.आई., नागपुर।
- 3 श्री. वी.पी. भालाधरे, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी / फार्म अधीक्षक आई.सी.ए.आर.-सी.सी.आर.आई., नागपुर।
- 4 डॉ. सुनील कुमार यु.टी., मुख्य तकनीकी अधिकारी तथा इस्टेट ऑफिसर, आई.सी.ए.आर.-सी.सी.आर.आई., नागपुर।
- 5 वित्त एवं लेखा अधिकारी, आई.सी.ए.आर.-सी.सी.आर.आई., नागपुर।
- 6 कैश ऑण्ड बिल सेक्शन, आई.सी.ए.आर.-सी.सी.आर.आई., नागपुर।
- 7 श्री. योगेश जाधव वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी एवं सुरक्षा प्रभारी, आई.सी.ए.आर.-सी.सी.आर.आई., नागपुर।
- 8 नेशनल प्रोटेक्टिव सिक्यूरिटी सर्विसेस, 102 दिपीका अरीहन्त कोहीनूर अपार्टमेंट, त्रिमुर्ति नगर, नागपुर 440022।
- 9 श्री डी. डी. बेंनर्जी, सहायक मुख्य तकनीकी अधिकारी, उपरोक्त नीलामी सूचना संस्थान के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।